संख्या-74/2022/1229/22-2-2020-17(467)/2020

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2022*

विषय:- जिला कारागार, बहराइच में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी उजागर पुत्र श्री झगड़ू, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-30277/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 28.11.2020, दिनांक 09.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी उजागर पुत्र श्री झगड़ू, ग्राम-सतरही, थाना-सोनवा, जनपद-बहराइच, वर्तमान जिला-श्रावस्ती का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक-14.09.1981 को रामनरायन अपने भाइयों के साथ बैल खरीदने बाजार जा रहा था। लाही के विवाद व मुकदमेबाजी की रंजिश के कारण जुम्मन राम नरायन को रोक कर झगड़ा करने लगा, इसी बीच बंदी द्वारा 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बल्लम व कुल्हाड़ी से मारकर रामनरायन की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-319/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 324/149, 148 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय प्रथम् अपर सत्र न्यायाधीश, बहराइच के दण्डादेश आदेश दिनांक 21.10.1982 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 29.08.2017 द्वारा उक्त दण्ड यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.11.2020 तक 02 वर्ष, 07 माह, 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष, 11 माह, 24 दिन की सपरिहार सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रावस्ती ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध किये जाने की संभावना से इंकार नही किये जाने, गॉव आने पर शांति भंग व अन्य अपराध होने की संभावना होने, दोनों पक्षों के मध्य विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझें यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी उजागर (बन्दी संख्या-34/2018) पुत्र श्री झगड़ू, निवासी जनपद-बहराइच वर्तमान श्रावस्ती की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-74/2022/1229(1)/22-2-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-श्रावस्ती ।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बहराइच।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।